FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0278 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 19/10/2025 16:25 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 16/10/2025 Date To (दिनांक तक): 17/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:30 बजे Time To (समय तक): 12:35 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 19/10/2025 Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 19/10/2025 16:25:23 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 90 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): TEHASIL KARALYA MANGROL, JILA BARAN

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DINESH GOCHAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMCHANDRA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1983 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JANTA TODEE WARD NO.02, MANGROL, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JANTA TODEE WARD NO.02, MANGROL, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AKHTAR HUSSAIN		पिता:ABDUL SALAM	1. WARD NO. 08 RAHMAT NAGAR,MANGROL,BARAN,RAJASTHAN,INDIA
2	GAJENDRA SINGH SISODIYA		पिता:DEVI SINGH	1. 414,VINOBA BHAVE NAGAR,KHADE GANESH JI KE PASS,MAHAVEER NAGAR,KOTA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.2025 समय 10.30 एएम पर श्री दिनेश गोचर पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र 42 साल निवासी जनता टोडी वार्ड नम्बर 02 मांगरोल, जिला बारां हाल स्वयं सेवक राजस्थान होमगार्ड 440 उप केन्द्र मांगरोल जिला बारां राजस्थान मोबाईल नम्बर [redacted] ने ब्यूरो कार्यालय एसीबी कोटा मे उपस्थित होकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी मांगरोल जिला बारां का रहने वाला है। प्रार्थी होमगार्ड विभाग में नौकरी करता है। प्रार्थी के विभाग में 44 दिन की ट्रेनिंग की थी। जिसका वेतन सरकार द्वारा 200 रूपये रोज देती है। परन्तु मेरे विभाग के गजेन्द्र सिंह (2) अख्तर हुसैन ट्रेनिंग करवाने की एवज में पांच हजार रूपये की रिश्वत मांग रहे। पांच हजार रूपये नही देना चाहता हूं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि गजेन्द्र सिंह एसआई व अख्तर होमगार्ड को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार करें। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। परिवादी दिनेश गोचर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाया जाता है इसलिऐ रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। मन उप अधीक्षक पुलिस को श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने चैम्बर में बुलाकर परिवादी श्री दिनेश गोचर से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा शिकायत का सत्यापन श्री रवि कुमार कानिस्टेबल 285 के साथ परिवादी दिनेश गोचर मय डिजीटल वाईस रिकार्डर आरोपी गजेन्द्र सिंह पीसी के होमगार्ड कार्यालय बारां भेजकर करवाया गया। बाद सत्यापन श्री रवि कुमार कानिस्टेबल 285 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जर्ये वाटसअप कॉल कर अवगत कराया कि मैं चौकी से रवाना होकर परिवादी दिनेश गोचर के साथ कलेक्ट्रेट बारां पहुंचा, जहां परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्ड चालू व बंद करने की समझाईश कर वार्ता रिकार्ड करने का तरीका पुनः समझाया तथा परिवादी से रिकार्डर चालू करवाकर सत्यापन वार्ता हेतु आरोपी को होमगार्ड कार्यालय में रवाना कर मैं भी कार्यालय के आसपास ही रहकर गोपनियता बरतते हुये निगरानी करने लगा। थोडी देर बाद परिवादी श्री दिनेश गोचर मेरे पास आया। मैने परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मै कलेक्ट्रेट बारां में स्थित होमगार्ड कार्यालय में गया, जहां गजेन्द्र सिंह पीसी साहब मुझे ऑफिस में ही मिल गये थे। उन्होने मेरे से ट्रेनिंग के भुगतान के सम्बन्ध में बात कर 5000 रूपये की रिश्वत की मांग की। मेरे निवेदन करने पर 4000 रूपये लेने के लिये सहमत हुये थे। उन्होने रिश्वत राशि 4000/- रूपये आज ही स्वयं सेवक श्री अख्तर हुसैन उप केन्द्र मांगरोल को देने की कहा है। जिसकी पुष्टि मैने डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड हुई रिकार्डींग वार्ता को सुनकर की है। रिकार्डेड वार्ता व परिवादी के बताये अनुसार कार्यवाही आज ही होनी हैं अतः आप अग्रिम कार्यवाही हेतु मय टीम बारां पधारे। कानिस्टेबल रवि कुमार द्वारा बताये सत्यापन हालात की पुश्टि परिवादी से वार्ता कर की गई। उक्त सत्यापन हालात् अनुसार मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में दिनांक 16.10.2025 को ट्रेप आयोजन करते हुये पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री कमल प्रकाश मीणा पुत्र स्व. श्री मोतीलाल जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी मकान नं0 16 उज्वल बिहार बोरखेडा कोटा हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा व श्री हरीश कुमार आर्य पुत्र स्व. श्री नन्दराम जाति जाटव उम्र 47 साल निवासी मकान नं0 44 बालाजी टाउन खेडली फाटक कोटा हाल पटवारी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटा तलब किया गया। दोनो गवाहान को आज होने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में बताया गया दोनो गवाहो से होने वाली ट्रेप कार्यवाही मे सम्मिलित होने की मौखिक सहमति चाही तो दोनो गवाहान ने अपनी अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा दिनांक 16.10.2025 को पेश प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढकर सुनाया तथा दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर उस

पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 04.30 पी0एम0 पर कार्यालय के मालखाने से फिनॉफ्थ्लीन पाउडर की शीशी निकलवाकर श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से फिनॉफ्थ्लीन पाउडर की शीशी सरकारी बोलेरो के डेस्कबोर्ड में रखवाई जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद, श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक, श्री शिवनारायण सहायक उप निरीक्षक, श्री अभिषेक कानिस्टेबल 197 व श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाहान श्री कमल प्रकाश मीणा व श्री हरीश कुमार आर्य मय सरकारी व प्राईवेट वाहनों मय चालक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु मांगरोल के लिये रवाना हुआ। समय 06.15 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद, श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक, श्री शिवनारायण सहायक उप निरीक्षक, श्री अभिषेक कानिस्टेबल 197 व श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाहान श्री कमल प्रकाश मीणा व श्री हरीश कुमार आर्य मय सरकारी व प्राईवेट वाहनों मय ट्रेप बॉक्स व फिनॉफ्थ्लीन पाउडर की शीशी, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु मांगरोल के पास अयाना केनाल के पास पहुंचे जहां कानिस्टेबल रवि कुमार कानिस्टेबल 285 व परिवादी दिनेश गोचर उपस्थित मिले। रवि कानिस्टेबल से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर उप अधीक्षक पुलिस ने रिकार्डेड वार्ता को सुनकर परिवादी व रवि कुमार कानि0 285 द्वारा पूर्व में बताये सत्यापन हालात की पुष्टि की। वार्ता में श्री गजेन्द्र सिंह पीसी ने रिश्वत राशि 4000 रूपये अख्तर हुसैन स्वयं सेवक उपकेन्द्र मांगरोल जिला बारां को देने की कहा है। स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री दिनेश गोचर व हमराही उपस्थित जाप्ते से आपसी परिचय करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की गई। समय 06.30 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दिनेश गोचर पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र 42 साल निवासी जनता टोडी वार्ड नम्बर 02 मांगरोल, जिला बारां हाल स्वयं सेवक राजस्थान होमगार्ड 440 उप केन्द्र मांगरोल जिला बारां ने अपने पास से निकालकर आरोपी अख्तर हुसैन होमगार्ड को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु 4000 रूपये के पांच-पांच सौ के 8 नोट कुल अक्षरे चार हजार रूपये मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी चौकी कोटा को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर पृथक-पृथक निम्न प्रकार है -क्र.स नोट का विवरण नोट का नम्बर1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4 BW 6512732. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 DC 5704713. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4 VL 6864164. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2 BF 9160755. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2 KE 6557136. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 TW 1238007. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7 EC 5152488. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9 DE 899867उपरोक्त नोटों के नम्बरो का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाकर उनकी उपस्थिति में श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से सरकारी बोलेरो के डेस्क बोर्ड से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को गाडी के बोनट पर एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री दिनेश गोचर की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कमल प्रकाश मीणा से लिवाई जाकर परिवादी श्री दिनेश गोचर के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 4000 रूपयों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री गौरव नागर कनिश्ठ सहायक से रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को दोनों स्वतंत्र गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ मे ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध व्यक्ति ने रिश्वत राशि प्राप्त की है। समझाईश प्रक्रिया के बाद जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा मैने भी अपने हाथ साबुन व साफ पानी से धोये। फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर की शीशी को जरिये श्री गोरव नागर कनिष्ठ सहायक को देकर वापस रवाना कार्यालय कोटा किया गया। मन अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री दिनेश गोचर को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री दिनेश गोचर को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे या अपने मोबाईल नम्बर से मेरे के मोबाईल पर मिस कॉल कर करें। डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाकर परिवादी को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की गई। फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थ्लीन पाउडर नियमानुसार मुर्तिब की गई। समय 7.22 पी0एम0 पर आरोपी श्री अख्तर हुसैन होमगार्ड को रिश्वत राशि दिलवाने के लिये परिवादी श्री दिनेश गोचर के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी अख्तर हुसैन के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाई गई तो वार्ता में आरोपी अख्तर हुसैन ने किसी परिचित के अन्तिम संस्कार में व्यस्त बताते हुये 9.30 पीएम के बाद फ्री होते ही कॉल करने की कहा तथा बाद में मिलने में असमर्थता जताई और परिवादी को कल कृषि मण्डी मांगरोल अथवा

घर पर मिलने की कहा। इस पर मन अनिश अहमद उप अधीक्षक पुलिस टीम परिवादी के मोबाईल पर आरोपी का कॉल आने के इन्तजार मुकिम हुआ। समय 10.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री दिनेश गोचर ने बताया कि काफी समय हो गया है। अब श्री अख्तर हुसैन होमगार्ड अब मुझे कॉल नही करेगा। अतः आज कार्यवाही होने की संभावना नही होने से गवाह श्री कमल प्रकाश मीणा से परिवादी की पेन्ट की जेब से रिश्वत राशि निकलवाई जाकर एक पीले रंग के लिफाफे में रखकर गवाह कमल प्रकाश मीणा के पास सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी श्री दिनेश गोचर को मुनासिफ हिदायत कर मौके से घर के लिये रूखसत कर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय रिश्वत राशि मय आवश्यक सामग्री मय प्राईवेट व सरकारी वाहनों से रवाना होकर समय 11.45 पी0एम0 पर कार्यालय हाजा आया। रिश्वत राशि का लिफाफा स्वतंत्र गवाह श्री कमल प्रकाश मीणा से लेकर मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। टै्रप कार्यवाही हालात एएसपी साहब को अर्ज किये। जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान को प्रातः 6.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत दी जाकर स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 17.10.2025 समय 06.00 ए0एम0 पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री कमल प्रकाश मीणा व श्री हरीश कुमार आर्य कार्यालय हाजा उपस्थित आये। कार्यालय के मालखाने से रिश्वत राशि का लिफाफा निकलवाया जाकर गवाह श्री कमल प्रकाश मीणा के पास सुरक्षित रखवाया जाकर समय 06.15 ए0एम0 पर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस, को जाप्ता श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक, श्री शिवनारायण सहायक उप निरीक्षक, श्री रवि कुमार कानि0 285, श्री अभिषेक कानिस्टेबल 197 व श्री मनोज कुमार शर्मा कानिस्टेबल 211 मय स्वतंत्र गवाहान श्री कमल प्रकाश मीणा व श्री हरीश कुमार आर्य मय सरकारी व प्राईवेट वाहनों मय चालक मय ट्रेप बॉक्स मय रिश्वत राशि, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु मांगरोल के लिये रवाना हुआ। समय 08.15 ए0एम0 मन उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद, श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक, श्री शिवनारायण सहायक उप निरीक्षक, श्री रवि कुमार कानि0 285, श्री अभिषेक कानिस्टेबल 197 व श्री मनोज कुमार शर्मा कानिस्टेबल 211 मय स्वतंत्र गवाहान श्री कमल प्रकाश मीणा व श्री हरीश कुमार आर्य मय सरकारी व प्राईवेट वाहनों मय चालक मय ट्रेप बॉक्स मय रिश्वत राशि, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु मांगरोल के पास अयाना केनाल के पास पहुंचे, जहां परिवादी दिनेश गोचर उपस्थित मिला। श्री कमल प्रकाश मीणा स्वतंत्र गवाह के पास लिफाफे में रखी रिश्वत राशि निकलवाई जाकर परिवादी श्री दिनेश गोचर की पेन्ट की सामने की दायीं जेब में रखवाई जाकर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर चालू व बन्द करने की विधि बताकर परिवादी दिनेश गोचर के मोबाईल पर आरोपी अख्तर हुसैन का कॉल आने के इन्तजार में मय टीम मुकिम हुऐ। समय 12.19 पी0एम0 पर आरोपी श्री अख्तर हुसैन होमगार्ड के मोबाईल पर परिवादी श्री दिनेश गोचर के मोबाईल से कॉल करवाकर आरोपी की लॉकेशन की जानकारी करवाई गई। तो आरोपी अख्तर हुसैन ने तहसील कार्यालय मांगरोल में होने की कहा और तुरन्त तहसील कार्यालय में आने की कहा। परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को डीजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। समय 12.26 पी0एम0 पर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के तहसील कार्यालय के पास पहुंचे और वाहनो को साईड में खड़ा कर परिवादी से डीजीटल वाईस रिकार्डर ऑन करवाकर परिवादी, श्री दिनेश गोचर को आरोपी श्री अख्तर हुसैन होमकार्ड को रिश्वत राशि देने हेतु तहसील कार्यालय मांगरोल में रवाना कर मय टीम मय स्वतंत्र गवाहान तहसील के बाहर खडे होकर अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। समय 12.35 पी0एम0 पर परिवादी श्री दिनेश गोचर पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र 42 साल निवासी जनता टोडी वार्ड नम्बर 02 मांगरोल, जिला बारां हाल स्वयं सेवक राजस्थान होमगार्ड 440 उप केन्द्र मांगरोल जिला बारां ने तहसील कार्यालय मांगरोल के गेट के बाहर आकर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस की ओर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया। इस पर उप अधीक्षक पुलिस ने आसपास मुकिम टीम के सभी सदस्यों को एकत्रित्र कर मय स्वतन्त्र गवाहान के मय सरकारी व प्राईवेट वाहन मय चालक के परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी के पास से डिवीआर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। पूछने पर परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि तहसील कार्यालय के गेट के पास अन्दर खडे अख्तर हुसैन होमगार्ड नम्बर 444 ने अभी अभी मेरे से मांग कर रिश्वत राशि 4000/- रूपये लेकर अपनी पहनी पेन्ट की साईड की बायीं जेब मे रखे। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी व टीम के तहसील कार्यालय में स्थित परिवादी के बताये अनुसार तहसील कार्यालय के गेट के पास पहुंचे। जहां एक व्यक्ति क्रीम कलर की बुटीदार शर्ट पहने हुये खडा मिला। जिसको देखकर परिवादी ने बताया कि यही अख्तर हुसैन होमगार्ड है जिसने अभी थोडी देर पहले मेरे से 4000/- रूपये रिश्वत राशि लेकर पहनी हुई पेंट की साईड की बायीं जेब में रखे थे। आरोपी अख्तर हुसैन को यथास्थिति में डिटेन कर कार्यालय तहसील मांगरोल में तहसीलदार के कक्ष में पहुंचा व उपस्थित तहसीलदार ब्रजेश शेहरा से अग्रिम कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलबध करवाने हेतु निवेदन किया। जिस पर उन्होने टीआरए का कक्ष कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया। डिटेनशुदा आरोपी अख्तर हुसैन को हमराह लेकर मय टीम मय परिवादी टीआरए कक्ष में पहुंचकर अग्रिम कार्यवाही की गई। आरोपी श्री अख्तर हुसैन को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व टीम का परिचय देकर आने का उददेश्य बताया तथा उससे उसका नाम पता पूछा तो वो एक दम से घबरा गया जिसे तसल्ली देकर यथा स्थिति में बैठे रहने के निर्देश दिये तथा उससे पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अख्तर हुसैन पुत्र श्री अब्दुल सलाम जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी वार्ड नम्बर 8 रहमत नगर ,मांगरोल जिला बारां हाल

स्वयं सेवक राजस्थान होमगार्ड 444 उप केन्द्र मांगरोल जिला बारां हाल कार्यरत तहसील कार्यालय मांगरोल जिला बारां होना बताया। परिवादी दिनेश गोचर से ली गई रिश्वत राशि 4000/- रूपये के संबंध में पूछा तो आरोपी अख्तर हुसैन ने बताया की मैने दिनेश के साईन करवाये है। मैने कोई रिश्वत नही ली है। दिनेश ने अभी थोडी देर पहले मुझे 4000 रूपये गजेद्र सिंह पीसी (प्लाटून कमाण्डर) को देने के लिये दिये थे, जो मैने लेकर पेन्ट की पीछे की बायीं जेब में रखे है, जो मेरे पास है। इस पर परिवादी दिनेश गोचर से पूछने पर आरोपी के जवाब का खण्डन करते बताया कि ये झूठ बोल रहे है। मैने 4000 रूपये रिश्वत राशि गजेन्द्र सिंह प्लाटून कमाण्डर द्वारा मांग की जाने पर उनके कहे अनुसार अख्तर हुसैन होमगार्ड नम्बर 444 को दिये है। मैने पांच छः महिने पहले ट्रेनिंग की थी जिसके प्रतिदिन 200 रूपये के हिसाब कुल 8200 रूपये का मेरा पेमेन्ट बना था। जिसका भुगतान मेरे बैंक खाते में माह मई 2025 में ऑनलाईन आ गये थे। उक्त पेमेन्ट के भुगतान की एवंज में गजेन्द्र सिंह प्लाटून कमाण्डर द्वारा मेरे से लगातार 5000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिसकी शिकायत मैने दिनांक 16.10.2025 को आपके एसीबी कार्यालय कोटा में की थी। उसी दिन सत्यापन के दौरान श्री गजेन्द्र सिंह प्लाटून कमाण्डर द्वारा 5000 रूपये रिश्वत की मांग कर 4000 रूपये लेने पर सहमत हुये थे और 4000 रूपये रिश्वत राशि अख्तर हुसैन होमगार्ड उप केन्द्र मांगरोल को देने के लिये मुझसे कहा था। उक्त रिश्वत राशि 4000 रूपये अख्तर हुसैन ने वार्ता कर मेरे से प्राप्त की है। इस पर आरोपी अख्तर हुसैन से रिश्वत राशि बाबत् पूछा तो उसने स्वयं अपनी पहनी पेन्ट की पीछे की बायीं जेब से रिश्वत राशि निकालकर पेश की। जिसकी गिनती स्वतंत्र गवाह श्री कमल प्रकाश मीणा से करवाई गई तो 500-500 रूपये के 8 नोट कुल 4000 रूपये मिले। आरोपी अख्तर हुसैन की जामा तलाशी गवाह श्री कमल प्रकाश मीणा से लिवाई गई तो उसके पास रिश्वत राशि के अलावा पर्स में 990 रूपये, एक रूमाल, ऐनक, एक पेन, टू व्हीलर की चाबी और एक नीले रंग का रेडमी कम्पनी का मोबाईल मॉडल एम-2010 जे 19 एसआई डॅयुल सीम जिसमें जीओ कम्पनी की सीम [redacted] लगी है। उक्त रिश्वती नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहन द्वारा पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर गवाहान ने नोटों के नम्बरों को देखकर सभी नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी से हूबहू होना बताया। बरामद रिश्वत राशि पांच पांच सौ रूपये के आठ नोट कुल 4000/- रूपये को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर, विवरण अंकित कर लिफाफे पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी के दोनों हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से तहसील कार्यालय से एक बोतल में साफ पानी मंगवाया गया । दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डाला गया तथा सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनां गिलासों के घोल का रंग रंगहीन ही रहा जिसे परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों को दिखाने पर रंगहीन होना माना। तत्पश्चात इस घोल के एक गिलास में आरोपी श्री अख्तर हुसैन के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झाई देता हुआ आया जिसे दो साफ कॉच की शीशीयां में आधा-आधा भरवाकर कर सील चिट मोहर किया गया। शीशीयों पर मार्क आरएच-1 व आरएच-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री अख्तर हुसैन के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झायीं देता हुआ आया जिसे साफ कॉच की दो शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर कर सीलचिट मोहर किया गया। शीशीयों पर मार्क एलएच-1 व एलएच-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी की पहनी हुई पेन्ट को खुलवाई जाकर कार्यालय तहसील में आरोपी की रखी हुई वर्दी की पेंट मंगवाकर पहनवाई गई। आरोपी श्री अख्तर की पहनी हुई मेहरून रंग की पेन्ट की साईड की बायीं जेब व पीछे की बायीं जेब का धोवन लेना आवश्यक होने से साफ पारदर्शी प्लास्टिक के दो अलग-अलग डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी डलवाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी अख्तर हुसैन की पेन्ट की साईड की बायी जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गन्दमेला प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कॉच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सीलचिट मोहर कर मार्क पीएल-1, पीएल-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दुसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी अख्तर हुसैन की पेन्ट की पीछे की बायी जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे भी दो साफ कॉच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सीलचिट मोहर कर मार्क पीबीएल-1, पीबीएल-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रयोग में लिये गये सभी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को बाहर जलवाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद पेन्ट को सुखाकर पीछे की जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर विवरण अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क- पी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दौराने कार्यवाही आरोपी श्री अख्तर हुसैन ने बताया था कि मैने रिश्वत श्री गजेन्द्र सिंह पीसी के लिये ली है। अतः आरोपी अख्तर हुसैन के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह पीसी के मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल करवाकर सत्यापन करवाया गया तो आरोपी गजेन्द्र सिहं ने कहा कि हां अख्तर भाई, तो अख्तर हुसैन ने कहा कि सर वो दिनेश आया था उसने चार हजार दिये। इस पर आरोपी गजेन्द्र सिह ने कहा कि ठिक ठिक ठिक ओके। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व उक्त वार्ता से आरोपी गजेन्द्र सिंह पीसी की रिश्वत मांग व लेनदेन में भूमिका स्पष्ट होती है कि आरोपी गजेन्द्र सिंह के कहने पर ही आरोपी अख्तर हुसैन ने परिवादी से 4000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की है। उक्त वार्ता को

बरामदगी कार्यवाही के साथ विडियों रिकार्डिंग में रिकार्ड किया गया। आरोपी श्री अख्तर हुसैन होमगार्ड की हाथ धुलाई, पेन्ट की धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग विधिक प्रावधानो के तहत मोबाईल में पृथक से मैमोरी कार्ड लगाकर तैयार की गई। जामा तलाशी में मिले आरोपी अख्तर हुसैन के एक नीले रंग का रेडमी कम्पनी का मोबाईल मॉडल एम-2010 जे 19 एसआई डॅयुल सीम जिसमें जीओ कम्पनी की सीम [redacted] लगी हुई को प्रकरण में अन्य आरोपी गजेन्द्र सिंह पीसी से वार्ता होना पाया गया है। अतः उक्त मोबाईल को बतौर वहज सबूत कब्जे ब्युरो लिया गया। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई नियमानुसार मुर्तिब की गई। समय 03.15 पी0एम0 पर दिनांक 16.10.2025 को परिवादी श्री दिनेश गोचर व आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह प्लाटून कमाण्डर होमगार्ड बारां के मध्य हुई कार्यालय होमगार्ड कलेक्ट्रेट जिला बारां में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमेरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री रवि कुमार कानि. 285 से कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी से आवाज पहचान कराते हुये परिवादी व स्वतंत्र गवाहो को वार्ता के अंश सुनाये जाकर गवाहान के समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हू ब हू तैयार करवाई गयी । समय 03.50 पी0एम0 पर दिनांक 17.10.2025 को परिवादी श्री दिनेश गोचर व आरोपी श्री अख्तर हुसैन होमगार्ड बारां के मध्य हुई हुई रिश्वत लेनदेन मोबाईल वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमेरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री रवि कुमार कानि. 285 से कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी से आवाज पहचान कराते हुये परिवादी व स्वतंत्र गवाहो को वार्ता के अंश सुनाये जाकर गवाहान के समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन मोबाईल वार्ता हू ब हू तैयार करवाई गयी। समय 04.05 पी0एम0 पर दिनांक 17.10.2025 को परिवादी श्री दिनेश गोचर व आरोपी श्री अख्तर हुसैन होमगार्ड बारां के मध्य हुई हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमेरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री रवि कुमार कानि. 285 से कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी से आवाज पहचान कराते हुये परिवादी व स्वतंत्र गवाहो को वार्ता के अंश सुनाये जाकर गवाहान के समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता हू ब हू तैयार करवाई गयी। समय 04.55 पी0एम0 पर आरोपी श्री अख्तर हुसैन होमगार्ड उप केन्द्र मांगरोल जिला बारां को परिवादी दिनेश गोचर एवं उसके के मध्य दिनांक 17.10.2025 को हुई रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता व रिश्वत लेनदेन वार्ता के अंश चलाकर दोनों स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी के समक्ष सुनाये गये। उक्त रिकार्ड वार्ताओ में आरोपी श्री अख्तर हुसैन होमगार्ड की रिकार्ड आवाज का परीक्षण कराने के लिये नमूना अवाज देने के लिये नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री अख्तर हुसैन होमगार्ड ने उसी नोटिस पर लिखकर दिया की मै अपनी आवाज का परीक्षण हेतु नमूना नहीं देना चाहता हू एवं अपने हस्ताक्षर किये। समय 05.10 पी0एम0 पर श्री प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बारां ने जरिये वाट्सप कॉल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आपके टै्रप प्रकरण में वांछित आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह पीसी को डिटेन करने हेतु मन उप अधीक्षक को निर्देशित किया गया था। उक्त वांछित आरोपी को मैने डिटेन कर लिया है जिसको लेकर आ रहे है। समय 05.15 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी गजेन्द्र सिंह प्लाटून कमाण्डर व परिवादी श्री दिनेश गोचर के मध्य दिनांक 16.10.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 251016_1335.mp3 जो 15194 KB तथा दिनांक 17.10.2025 को परिवादी दिनेश गोचर व आरोपी अख्तर हुसैन के मध्य हुई रिश्वत लेन देन मोबाईल वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 251017_1218.mp3 जो 1,133 KB, 251017_1226.mp3 जो 11,572 KB, उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं को श्री अभिषेक कानि 197 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्डो से कॉपी कर लेपटाप मे लिवाया जाकर वार्ता की सभी फाईलों की हैस वैल्यू निकाली गई तथा उक्त वार्ताओ के SanDisk 32 GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flase Drive कंपनी के चार पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व दो पेन ड्राईव आरोपीयो के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सीव्ड मोहर किये गये तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए दो मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर, दोनो मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की पृथक-पृथक थेलियों में रखकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक मैमोरी कार्ड कवर मे अनशील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिये रखकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही सीजर की कार्यवाही को कार्यालय के मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में, जरिये मोबाईल श्री मनोज कुमार कानि0 211 द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। जिसकी मेमोरी कार्ड मे चार फाईल क्रमशः 20251017_123722.mp4, जो 41,94,047 KB , 20251017_131131.mp4, जो 36,37,751 KB की हैं। उक्त मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप से श्री अभिषेक कानि. 197 के द्वारा लेपटोप पर कनेक्ट करवाकर उक्त मेमेरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई विडियो रिकॉर्डिंग फाईलों की हैस वैल्यू निकाली गई तथा उक्त वीडियोग्राफी को जरिये लेपटॉप SanDisk 32 GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flase Drive कंपनी के एक पेन

ड्राईव में पेस्ट किया गया, एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिए वजह सबूत कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर किया गया तथा मूल मेमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को माननीय न्यायालय के लिए वजह सबूत जप्त कर कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर किया गया एवं कपडे की थैली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक मैमोरी कार्ड कवर मे अनशील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिये रखकर शामिल पत्रावली किया गया फर्द प्रतिलिपिकरण व जब्ती पेन ड्राईव व मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की गई। समय 07.15 पी0 एम0 पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दिनेश गोचर की निशानदेही से घटना का विवरण अंकित कर रिश्वत लेनदेन घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। समय 09.00 पी0एम0 पर श्री प्रेमचन्द उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री विक्रम कानि0 23 व दुर्गेश कानि0 34 मय डिटेनशुदा आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह पीसी को मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह पीसी की जामा तलाशी श्री कमल प्रकाश मीणा से लिवाई गई। तलाशी के दौरान गजेन्द्र सिंह के पास सेमसंग कम्पनी बरंग स्काई ब्ल्यू मोबाईल मॉडल एसएम-ई236बी/डीएस डॅयुल सीम जिसमें एक जीओ कम्पनी की सीम [redacted] और दुसरी सीम भी जीओ कम्पनी नंबर [redacted] एक मोबाईल मोबाईल को मय सीम वजूह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 09.20 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष डिटेनशुदा आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह प्लाटून कमाण्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस ने टीम का व अपना परिचय देते हुये होने वाली कार्यवाही से अवगत कराते हुये उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री देवी सिंह उम्र 53 साल जाति राजपूत निवासी मकान नं. 414 विनोबा भावे नगर खडे गणेश जी के पास कोटा हाल प्लाटून कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जिला बारां होना बताया। आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया प्लाटून कमाण्डर से परिवादी श्री दिनेश गोचर से दिनांक 16.10.2025 को की गई रिश्वत मांग कर श्री अख्तर हुसैन को देने के लिये कहने के बारे में पूछा तो आरोपी गजेन्द्र सिंह पीसी ने बताया कि श्री दिनेश गोचर होमगार्ड दिनांक 16.10.2025 को मेरे पास आया था और कहा कि मेरा मकान का काम चल रहा है। मैं आर्थिक तंगी में हूं। आप मेरी ड्युटी लगवा देना। मैने कहा ड्युटी साफ्टवेयर के माध्यम से लगती है। फिर भी 15 तारीख के बाद कही गैरहाजरी आती है तो साहब से निवेदन कर दूंगा। इस पर परिवादी श्री दिनेश गोचर ने खण्डन करते हुये बताया कि श्री गजेन्द्र सिंह पीसी साहब झूठ बोल रहे है। मैं कल दिनांक 16.10.2025 को श्री गजेन्द्र सिंह पीसी के पास उनके कार्यालय में गया था। उस समय मेरे पास एसीबी का डिजीटल वाईस रिकार्डर था। मैने इनसे मेरे ट्रेनिंग के भत्ते की एवज में मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बात की थी। उसमें हमारी दोनो की वार्ता रिकार्ड है। वार्ता में गजेन्द्र सिंह जी को मैने कहा था कि अख्तर हुसैन पांच हजार रूपये की कह रहे है। थोडा कम करो। तो इन्होने कहा था कि कितना कम करूं। तो मैने कहा कि दो हजार। तो गजेन्द्र जी ने कहा था कि दो हजार तो नही एक हजार कम कर देना। चार हजार रूपये अख्तर हुसैन को दे देना। इनके कहे अनुसार मैने आज श्री अख्तर हुसैन को रिश्वत राशि 4000 रूपये इनके कहे अनुसार दिये थे। जिसको आपकी टीम ने रंगे हाथों पकडा है और अख्तर हुसैन जी ने भी इनके लिये रिश्वत लेनी की बात कही है।" रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व लेनदेन मोबाईल वार्ता, लेनदेंन वार्ता व विडियों रिकार्डींग फर्द बरामदगी के समय दोनों आरोपीगण के मध्य कराई गई वार्ता के अवलोकन से आरोपीगण श्री अख्तर हुसैन व गजेन्द्र सिंह सिसोदिया की परिवादी से रिश्वत मांग व लेनदेन में मिलीभगत स्पष्ट होती है। श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया पीसी को जाप्ता की निगरानी में बैठाया गया। समय 10.15 पी0एम0 पर आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री देवी सिंह उम्र 53 साल जाति राजपूत निवासी मकान नं. 414 विनोबा भावे नगर खडे गणेश जी के पास कोटा हाल प्लाटून कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जिला बारां को परिवादी दिनेश गोचर एवं उसके मध्य दिनांक 16.10.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अंश चलाकर दोनों स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी के समक्ष सुनाये गये। उक्त रिकार्ड वार्ताओ में श्री गजेन्द्र सिंह पीसी होमगार्ड की रिकार्ड आवाज का परीक्षण कराने के लिये नमूना अवाज देने के लिये नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह पीसी ने उसी नोटिस पर लिखकर दिया की मै अपनी आवाज का परीक्षण हेतु नमूना नहीं देना चाहता हू एवं अपने हस्ताक्षर किये। समय 11.00 पी0एम0 पर श्री अख्तर हुसैन पुत्र श्री अब्दुल सलाम जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी वार्ड नम्बर 8 रहमत नगर ,मांगरोल जिला बारां हाल स्वयं सेवक राजस्थान होमगार्ड 444 उप केन्द्र मांगरोल जिला बारां को संवैधानिक अधिकारो से अवगत कराते हुये आरोपी की गिरफ्तारी अपरिहार्य एवं आवश्यक होने से बसबूत जुर्म अपराध धारा 7 पी.सी एक्ट (यथा संशोधन) 2018 व 61(2) बीएनएस में मुताबिक फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की इच्छानुसार उसके पुत्र परवेज अख्तर को दी गई एवं मोबाईल के अलावा अन्य वस्तुएं पुत्र परवेज को दी गई। समय 11.30 पी0एम0 पर आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री देवी सिंह उम्र 53 साल जाति राजपूत निवासी मकान नं. 414 विनोबा भावे नगर खडे गणेश जी के पास कोटा हाल प्लाटून कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जिला बारां को संवैधानिक अधिकारो से अवगत कराते हुये आरोपी की गिरफ्तारी अपरिहार्य एवं आवश्यक होने से बसबूत जुर्म अपराध धारा 7 पी.सी एक्ट (यथा संशोधन) 2018 व 61(2) बीएनएस में मुताबिक फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की इच्छानुसार उसके भाई त्रिलोक सिंह को जर्ये मोबाईल दी गई। समय 01.00 ए0एम0 पर बाद ट्रेप कार्यवाही मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण, जाप्ता, गवाहान् के जरिये सरकारी बोलेरो से मय चालक के एवं प्राईवेट वाहन सीलबन्द शीशियों व समस्त सील्डशुदा माल के मांगरोल से रवाना होकर आरोपीगणो का स्वास्थ्य परीक्षण

करवाकर, थाना नयापुरा जिला कोटा षहर में दाखिल कर समय 05.00 ए0एम0 पर कार्यालय हाजा आये। वजह सबूत जप्तशुदा माल सील्डशुदा 08 धोवन की शीशियां, पेन्ट का सील्डशुदा पेकेट, लिफाफा रिश्वत राशि व दोनों आरोपीगण के जब्तशुदा मोबाईल मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन एएसआई को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाये। स्वतंत्र गवाहान श्री कमल प्रकाश मीणा व श्री हरीश कुमार आर्य को कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया।अब तक की कार्यवाही व हालात् से पाया गया कि परिवादी श्री दिनेश गोचर पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र 42 साल निवासी जनता टोडी वार्ड नम्बर 02 मांगरोल, जिला बारां हाल स्वयं सेवक राजस्थान होमगार्ड 440 उप केन्द्र मांगरोल जिला बारां राजस्थान ने 44 दिन का विभागिय प्रशिक्षण किया था। जिसका प्रतिदिन 200/- रूपये के हिसाब से प्रशिक्षण अवधि का 8200 रूपये का वेतन भुगतान परिवादी को उसके कार्यालय से हुआ था। किये गये प्रशिक्षण के वेतन भुगतान के बदले के आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री देवी सिंह उम्र 53 साल जाति राजपूत निवासी मकान नं. 414 विनोबा भावे नगर खडे गणेश जी के पास कोटा हाल प्लाटून कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जिला बारां ने श्री अख्तर हुसैन के मार्फत् 5000/- रूपये की मांग की गई थी। जिसकी लिखित शिकायत परिवादी दिनेश गोचर ने दिनांक 16.10.2025 को एसीबी चौकी कोटा पर पेश की। उक्त शिकायत का दिनांक 16.10.2025 को रिश्वत मांग का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया पीसी ने परिवादी दिनेश गोचर से 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 4000 रूपये लेने के लिये सहमत होकर रिश्वत राशि 4000 रूपये श्री अख्तर हुसैन होमगार्ड उप केन्द्र मांगरोल को देने की कहा। बाद सत्यापन दिनांक 16.10.2025 व 17.10.2025 को ट्रेप आयोजन कर दिनांक 17.10.2025 को आरोपी श्री अख्तर हुसैन पुत्र श्री अब्दुल सलाम जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी वार्ड नम्बर 8 रहमत नगर ,मांगरोल जिला बारां हाल स्वयं सेवक राजस्थान होमगार्ड 444 उप केन्द्र मांगरोल जिला बारां को परिवादी श्री दिनेश गोचर से 4000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने पर तहसील मांगरोल में ट्रेप कार्यवाही के दौरान रंगे हाथों पकड़ा गया। सर्वप्रथम रिश्वत राशि आरोपी अख्तर हुसैन द्वारा प्राप्त की गई। पूछताछ पर उसने उक्त राशि श्री गजेन्द्र सिहं सिसोदिया पीसी के लिए लेना बताया। तत्पश्चात उक्त राशि श्री अख्तर हुसैन से रिश्वत राशि चार हजार रूपये उसकी पहनी हुई पेंट की पीछे की बांयी जेब से बरामद की गई। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन देन मोबाईल वार्ता, लेन देन वार्ता, फर्द बरामदगी एवं विडीयोग्राफी बरामदगी व दोनो आरोपीगणो की बरामदगी के समय कराई गई मोबाईल वार्ता, उक्त वार्ताओं की रूपान्तरण फर्दा, सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही व फर्दात् अवलोकन से श्री अख्तर हुसैन पुत्र श्री अब्दुल सलाम जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी वार्ड नम्बर 8 रहमत नगर ,मांगरोल जिला बारां हाल स्वयं सेवक राजस्थान होमगार्ड 444 उप केन्द्र मांगरोल जिला बारां व आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री देवी सिंह उम्र 53 साल जाति राजपूत निवासी मकान नं. 414 विनोबा भावे नगर खडे गणेश जी के पास कोटा हाल प्लाटून कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जिला बारां ने मिलीभगत कर परिवादी श्री दिनेश गोचर से 5000 रूपये की मांग कर 4000 रूपये ग्रहण करने से उक्त दोनों आरोपीगण का उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 7 पी.सी एक्ट (यथा संशोधन) 2018 व 61(2) बीएनएस, 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय होने का प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।(अनिष अहमद) उप पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटाhttps//...............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा शहर, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपीगण 1- श्री अख्तर हुसैन पुत्र श्री अब्दुल सलाम जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी वार्ड नम्बर 8 रहमत नगर ,मांगरोल जिला बारां हाल स्वयं सेवक राजस्थान होमगार्ड 444 उप केन्द्र मांगरोल जिला बारां एवं 2-श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री देवी सिंह उम्र 53 साल जाति राजपूत निवासी मकान नं. 414 विनोबा भावे नगर खडे गणेश जी के पास कोटा हाल प्लाटून कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जिला बारां के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस, 2023 में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कालूराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 531 पर अंकित है।(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1571-75 दिनांक 19-10-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां। 2- महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर। 3-कमाण्डेन्ट, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बारां 4-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KALU RAM VERMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]0/2025 1[illegible]7

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	21/04/1974				
2	Male	19/10/1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)